CBIC-10A12/1/2025-Ad-IIIB Section- CBEC

भारत सरकार

Government of India

वित्त मंत्रालय

Ministry of Finance

राजस्व विभाग

Department of Revenue

केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड

Central Board of Indirect Taxes and Customs

****

नई दिल्ली/New Delhi,

दिनांक / Dated: As e-signed

सेवा में/To,

संबंधित कैडर नियंत्रक प्राधिकरण (संलग्नकों के अनुसार), केंद्रीय CBIC के अंतर्गत /The Concerned Cadre Controlling Authorities (as per Annexures) Under CBIC

(Through CBIC's Website)

विषय:- SSC संयुक्त स्नातक स्तरीय परीक्षा, 2025 के परिणाम के आधार पर नियुक्ति हेतु अनुशंसित निरीक्षक (CGST, निवारक अधिकारी एवं परीक्षक), कार्यकारी सहायक तथा कर सहायक के आवंटन के संबंध में।

Subject:-Allocation of Inspector (CGST, PO & Examiner), Executive Assistant and Tax Assistant recommended for appointment by SSC on the basis of result of SSC Combined Graduate Level Examination, 2025-reg.

Sir/ Madam,

मुझे यह निर्देशित किया गया है कि दिनांक 14.05.2026 को SSC द्वारा घोषित SSC CGLE 2025 के परिणाम के आधार पर, आयोग ने CBIC में नियुक्ति हेतु 1306 निरीक्षक (CGST), 353 निरीक्षक (निवारक अधिकारी), 137 निरीक्षक (परीक्षक), 183 कार्यकारी सहायक तथा 771 कर सहायक की अनुशंसा की थी। यह अनुशंसा विभाग द्वारा SSC को विभिन्न कैडर/ज़ोन हेतु सूचित रिक्तियों के अनुसार की गई थी।

I am to directed to state that on the basis of result declared by SSC CGLE 2025 on 14.05.2026, Staff Selection Commission (SSC) had recommended 1306 Inspector (CGST), 353 Inspector (PO), 137 Inspector (Examiner), 183 Executive Assistant and 771 Tax Assistant for appointment in CBIC, as per the vacancies reported by the

Department to the SSC for allocation to various cadres/zones.

2. उम्मीदवारों का विभिन्न कैडरों में आवंटन "मेरिट-कम-प्राथमिकता" (Merit-cum-Preference) के आधार पर किया गया है, अर्थात उच्च मेरिट/रैंक वाले उम्मीदवारों को उनकी पसंद के कैडर मिलने की अधिक संभावना रही, बशर्ते संबंधित श्रेणी की रिक्तियां उपलब्ध हों। आवंटन करते समय कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (DOP&T) के सभी निर्देशों का पालन किया गया है। प्रत्येक चयनित उम्मीदवार को अपनी पसंद/प्राथमिकता बताने का अवसर दिया गया था। **कुछ उम्मीदवारों ने कोई विकल्प/प्राथमिकता नहीं दी। ऐसे मामलों में, जिन कैडर नियंत्रक प्राधिकरणों में रिक्तियां उपलब्ध थीं, उनके कोड को वर्णानुक्रम (Alphabetical Order) में व्यवस्थित कर तथा शेष उम्मीदवारों की मेरिट के अनुसार आवंटन किया गया।**

The allocation of candidates to various cadres has been made on "Merit-cum-preference" basis (i.e., candidates with higher merit/rank had better chances of getting cadres of their preference) subject to the availability of vacancies of relevant category in the various cadres. While making allocation, all instructions of DOP&T have been followed. Each selected candidate was given an opportunity to indicate his/her options/preferences. Some candidates have not indicated any option/preference. **In such cases, allocation has been made by alphabetically arranging the Code of Cadre Controlling Authority where vacancies existed, after allocation of the candidates who have given their options, and following merit of left over candidates**.

3. निरीक्षक (CGST, निवारक अधिकारी एवं परीक्षक), कार्यकारी सहायक तथा कर सहायक पदों हेतु चयनित एवं आपके कैडर/ज़ोन में आवंटित उम्मीदवारों की सूची क्रमशः परिशिष्ट-I, II, III, IV एवं V में संलग्न है।

The List of candidates selected for the post of Inspector (CGST, PO & Examiner), Executive Assistant and Tax Assistant allocated to your cadre/zone is enclosed at **Annexure I, II, III, IV & V** respectively.

4. कृपया यह सुनिश्चित किया जाए कि नियुक्ति के प्रस्ताव (offers of appointment) जारी करने से पहले सभी आवश्यक औपचारिकताएँ/आवश्यकताएँ (चरित्र एवं पूर्ववृत्त की जाँच को छोड़कर) निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार पूरी कर ली जाएँ, जिनमें चिकित्सा परीक्षण, जन्म तिथि, शैक्षणिक योग्यता, जाति प्रमाण पत्र, दिव्यांगता प्रमाण पत्र तथा अन्य संबंधित दस्तावेजों की मूल प्रतियों का सत्यापन शामिल है। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग से संबंधित अभ्यर्थियों के मामले में, सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी मूल जाति प्रमाण पत्रों की नियुक्ति प्रस्ताव जारी करने से पूर्व अनिवार्य

रूप से जॉच की जानी चाहिए। जहा तक चारित्र एव पूववृत्त की जॉच का प्रश्न है, कार्मिक एव प्रशिक्षण विभाग (DoPT) के कार्यालय ज्ञापन संख्या 18011/2(s)/2016-Estt.(B)(i) दिनांक 29/06/2016 का कड़ाई से पालन किया जाए। यह पुनः स्पष्ट किया जाता है कि नियुक्ति प्राधिकारी को नियुक्ति पत्र जारी करने से पूर्व यह पूरी तरह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि उम्मीदवार पद धारण करने के लिए पात्र है। यदि किसी भी आधार पर कोई विसंगति पाई जाती है, तो उस मामले को कर्मचारी चयन आयोग (SSC) को सूचित करते हुए बोर्ड को संदर्भित किया जाए।

It may kindly be ensured that before the offers of appointment are issued, all necessary formalities/ requirements (except verification of character and antecedents) as per the laid down procedure are completed, including medical examination, verification of original certificates regarding date of birth, educational qualifications, caste certificate, disability certificates and any other relevant documents, etc. In case of candidates belonging to the Scheduled Castes/ Scheduled Tribes/ Other Backward Classes, the original caste certificates issued by the Competent Authority should necessarily be checked before the offer of appointment is issued. As far as verification of character and antecedents is considered, DoPT's OM No. 18011/2(s)/2016-Estt.(B)(i) dated 29/06/2016 may strictly be followed. It is reiterated that the appointing authority must fully satisfy itself regarding the eligibility of a candidate to hold the post before issuing the letter containing the offer of appointment. If any discrepancy is found on any ground, the case may be referred to the Staff Selection Commission under intimation to the Board.

5. दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग **(DoEPwD)** को निरीक्षक **(CGST),** निवारक अधिकारी एवं परीक्षक पदों के लिए दृष्टिबाधित **(Blind),** श्रवणबाधित **(Deaf),** मानसिक बीमारी **(MI)** तथा बहुविकलांगता **(MD)** श्रेणियों के दिव्यांग व्यक्तियों हेतु आरक्षण से छूट प्रदान करने के संबंध में एक संदर्भ भेजा गया है, जो वर्तमान में विचाराधीन है।। अतः यदि इन श्रेणियों से संबंधित कोई अभ्यर्थी हों, तो सीसीए **(CCA)** नियुक्ति पत्रों में यह उल्लेख करें कि उनकी नियुक्ति अस्थायी **(provisional)** है, जो इन श्रेणियों के लिए मांगी गई छूट पर अंतिम निर्णय के अधीन होगी।

A reference has been made to DoEPwD seeking exemption from reservation for person with disabilities of Blind, Deaf, MI and MD for Inspector CGST, PO and Examiner posts is under consideration. Hence, if there are any candidates belonging to these categories, CCAs should mention in appointment letters that their appointments are provisional, pending a final decision on exemption sought for these categories.

6. यह भी सूचित किया जाता है कि कुछ आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थी ऐसे हैं जिन्हें उनके अपने मेरिट के आधार पर संबंधित आरक्षित श्रेणी की रिक्तियों के विरुद्ध समायोजन के कारण सरप्लस घोषित किया गया है। प्रशासनिक आवश्यकता के कारण एवं कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (DoPT) के दिनांक 04.06.2010 के पैरा 13 के अनुसार, सक्षम प्राधिकारी द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि इन अभ्यर्थियों को शेष अनारक्षित रिक्तियों के विरुद्ध समायोजित किया जाए, क्योंकि रिज़र्व पैनल (DoPT OM दिनांक 04.06.2010 में उल्लिखित) का मुद्दा दिल्ली उच्च न्यायालय में W.P. No. 3408/2019 में विचाराधीन (sub-judice) है।

It is further informed that there are certain candidates in reserved Categories, who have been rendered surplus due to adjustment of own merit reserved category candidates against their respective reserved category vacancies. Due to the administrative exigencies & as per Para 13 of DoPT O.M dated 04.06.2010, it has been decided by the competent authority to allocate these candidates, against the left-over un-reserved vacancies as the issue of preparation of reserve panel (mentioned in DoPT O.M dated 04.06.2010) is sub-judice in High Court of Delhi in W.P No. 3408/2019.

7. माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा एसएलपी (सिविल) संख्या 7246/2026 में दिनांक 23.02.2026 को पारित आदेश के अनुपालन में, दिल्ली उच्च न्यायालय में रिट याचिका (सिविल) संख्या 1733/2026, *प्रमोद कुमार राय एवं अन्य बनाम भारत संघ एवं अन्य,* के विचाराधीन विवाद (Lis) के विषय से संबंधित कोई भी आवंटन/नियुक्ति उक्त रिट याचिका के अंतिम निर्णय के अधीन होगी।

In compliance of order dated 23.02.2026 of Hon'ble Supreme Court of India in SLP (C) No.7246/2026, any allocation/appointment made which are the subject matter of the ***lis*** under consideration of the Hon'ble High court of Delhi in WP (C) No.1733/2026 titled as Pramod Kumar Rai and Ors Vs. Union of India and Ors, shall be subject to the final outcome of the said writ petition.

8. नियुक्ति प्रस्ताव को स्पीड पोस्ट के माध्यम से भेजा जाए तथा उसकी एक प्रति ईमेल द्वारा भी जारी की जाए। यदि पत्र डाक विभाग द्वारा अप्रेषित (undelivered) वापस लौटाए जाते हैं, तो उन पत्रों को डाक लिफाफों सहित डाक विभाग की टिप्पणियों के साथ रिकॉर्ड हेतु सुरक्षित रखा जाए। ऐसे मामलों में, यदि उम्मीदवार का पत्राचार/स्थायी पता प्रारंभिक डाक पते से भिन्न हो, तो उस पते पर भी प्रस्ताव की प्रति भेजी जाए। यदि कोई उम्मीदवार नियुक्ति प्रस्ताव को स्वीकार नहीं करता है या कार्यभार ग्रहण नहीं करता है, अथवा रजिस्टर्ड पोस्ट द्वारा अनुस्मारक भेजे जाने के बाद भी कोई प्रतिक्रिया नहीं देता है,

ता नियुक्ति प्रस्ताव को औपचारिक रूप से निरस्त किया जाए और संबंधित उम्मीदवार को इसकी सूचना दी जाए। जो उम्मीदवार प्रस्ताव स्वीकार नहीं करते या जिनके मामले में दूसरा पत्र भी अप्रेषित वापस आ जाता है, उनकी डोज़ियर कर्मचारी चयन आयोग (SSC) को बोर्ड को सूचित करते हुए वापस भेजी जाए, जिसमें नियुक्ति प्रस्ताव पत्र, अनुस्मारक पत्र तथा नियुक्ति निरस्तीकरण के आदेश की प्रति सम्मिलित हो। दस्तावेज़ सत्यापन, चिकित्सा एवं शारीरिक परीक्षण हेतु बुलाए जाने वाले पत्रों में यह उल्लेख किया जाए कि आगे की प्रक्रिया सीसीए द्वारा डोज़ियर प्राप्त होने और उसके सत्यापन के अधीन होगी।

The offer of appointment may be sent through **speed post**, in addition to issue of a copy by email. If the letters are returned by the postal authorities undelivered, the letters, along with the envelopes containing remarks by the postal authorities should be retained for record purposes. In such cases, a copy of the offer of appointment should be sent to the correspondence/ permanent address of the candidates, if it is different from that of the initial mailing address. In case a candidate declines to accept the offer of appointment or fails to report for duty, or there is no response from him/her, even after issuance of a reminder through registered post, the offer of appointment should formally be cancelled and the candidate informed accordingly. The dossiers of candidates who decline to accept the offer and, in those cases, where the second letter is also returned undelivered, should be returned to **the Staff Selection Commission** under intimation to the Board, after placing therein a copy each of the letter containing the offer of appointment, subsequent reminder and the memorandum of the cancellation of offer of appointment. In intimation letters issued to candidates calling them for document verification, medical and physical tests, as applicable, CCAs may mention that further process is subject to receipt and verification of dossiers by CCAs.

9. कृपया यह भी ध्यान दिया जाए कि ज़ोन के पुनः आवंटन (re-allocation of zone) के किसी भी अनुरोध पर बोर्ड द्वारा विचार नहीं किया जाएगा। इस पत्राचार एवं इसके संलग्नकों की प्राप्ति की कृपया पावती दी जाए।

It may please be noted that any request for re- allocation of zone shall not be entertained by the Board. The receipt of this communication and its enclosures may kindly be acknowledged.

10. यह पत्र अध्यक्ष (CBIC) के अनुमोदन से जारी किया जाता है।
This issues with the approval of Chairman (CBIC).

भवदीय /Yours faithfully,

Digitally signed by Mohammad Ashif
Date: 03-07-2026 16:23:18

Enclosed-As above

(मोहम्मद आशिफ)/ (Mohammad Ashif)

अवर सचिव,भारत सरकार /Under Secretary to the Govt. of India

दूरभाष/Tel.No.: 26162780